



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
ए-2/ई-1/2026
दिनांक: 03.08.2026

1. प्रबंधक (सिस्टम) परीक्षा—2026,
2. वरिष्ठ प्रोग्रामर परीक्षा—2026,
3. प्रोग्रामर ग्रेड—2 परीक्षा—2026,
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड—बी परीक्षा—2026

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि:— 03.08.2026

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि:— 03.09.2026

ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अन्तिम तिथि:— 10.09.2026

महत्वपूर्ण

- (1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R. Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।
(b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओटीआर नम्बर प्राप्त कर सकते हैं।
(c) ओटीआर नम्बर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

- (2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ़ व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।
(3) अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें।
(4) अभ्यर्थियों को अपने ऑन-लाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑन-लाइन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथासमय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञापित के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

विशेष सूचना :- (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अद्यतन सूचनाओं/निर्देशों हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनाएँ/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

1. ऑन-लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में O.T.R. BASED APPLICATION system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन-लाइन आवेदन ही करें।

ऑन-लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:-

आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS/ ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:-

- 1- User Instructions
- 2- View Advertisement
- 3- Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहते हैं, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे।

'ऑन-लाइन आवेदन' करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :-

प्रथम चरण :- 'Apply' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि :-

- (i) **'Yes'** पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् **'Click here to Authenticate'** प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके रजिस्टर्ड मोबाइल नं०/ई-मेल पर अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. अथवा O.T.R.-पासवर्ड के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनाएँ (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।
(ii) **'No'** पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो:- a. सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (<https://otr.pariksha.nic.in>) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण:- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हताएँ भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No विकल्प का चुनाव करना होगा।
तृतीय चरण:- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for Fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:-

- (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES
उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, जिसका प्रिन्ट प्रिन्टर आइकन पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate कर Login करने के उपरांत 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

नोट:- ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्टआउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।
चतुर्थ चरण:- तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

- (1) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिनाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई,डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन सम्बन्धी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।
(2) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गयी है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आयोग के इस परीक्षा व आगामी समस्त

परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार (प्रतिवारित) एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

- (3) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग के प्रश्नगत् चयन तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है।

- (4) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(5) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

- (6) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार/प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- (7) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

- (8) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग के प्रश्नगत चयन व आगामी समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

- (9)(क) परीक्षा के पश्चात् अथवा जब माँग की जाय अभ्यर्थियों को अपने ऑन-लाइन आवेदन की हार्ड-कॉपी के साथ ऑन-लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियां एवं विज्ञापन में अपेक्षित और कोई सूचना/अभिलेख आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में प्रेषित करना होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) अभिलेखों के सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में इस हेतु मा0 आयोग के निर्णयानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को यदि अभिलेख सत्यापन हेतु कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो यह मानते हुए कि वह प्रश्नगत पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

2. आवेदन शुल्क : ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-

- | | |
|--|---|
| (i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग | परीक्षा शुल्क रु. 200/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/- योग = रु. 225/- |
| (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति | परीक्षा शुल्क रु. 80/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/- योग = रु. 105/- |
| (iii) दिव्यांगजन | परीक्षा शुल्क रु. शून्य + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/- योग = रु. 25/- |
| (iv) भूतपूर्व सैनिक | परीक्षा शुल्क रु. 80/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/- योग = रु. 105/- |
| (v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी | अपनी मूल श्रेणी के अनुसार |

3. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रबंधक(सिस्टम), वरिष्ठ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर ग्रेड-2 तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी के पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु उ0प्र0 के जिला/जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर अलग-अलग परीक्षा का आयोजन करेंगे। प्रबंधक(सिस्टम), वरिष्ठ प्रोग्रामर एवं प्रोग्रामर ग्रेड-2 पदों पर चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी पद पर चयन परीक्षा एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी टंकण में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर होगा।

उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 के अनुसार:-

मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविद को, जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने के अन्तिम दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी से अपनी अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, उन्हें आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षा में निम्नलिखित अधिमान दिया जाएगा:-

क्रम सं०	परीक्षा में विहित अधिकतम अंक	अधिमान		
		अनुसंधानविद जो 01 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो	अनुसंधानविद जो 02 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो	अनुसंधानविद जो 03 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि पूर्ण कर ली हो
1-	100 अंक तक	1.0 अंक	2.0 अंक	3.0 अंक
2-	101 से 500 अंक तक	1.5 अंक	3.0 अंक	4.5 अंक
3-	501 से 1000 अंक तक	2.0 अंक	4.0 अंक	6.0 अंक
4-	1000 से अधिक	2.5 अंक	5.0 अंक	7.5 अंक

टिप्पणी- अधिमान की गणना हेतु कट-ऑफ का दिनांक विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने का अन्तिम दिनांक होगा।

आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

4. **रिक्तियों की संख्या:-** वर्तमान में प्रबंधक(सिस्टम)/वरिष्ठ प्रोग्रामर/प्रोग्रामर ग्रेड-2/कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी परीक्षा-2026 हेतु रिक्तियों की संख्या-10 है। रिक्तियों का पदवार/आरक्षणवार विवरण निम्नवत् है:-

प्रबंधक(सिस्टम), औद्योगिक विकास विभाग

कुल	अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्ल्यू0 एस0	भू0पू0 सै0	दिव्यांगजन	स्व0 सं0से0	महिला
01	01	00	00	00	00	00	00	00	00

नोट:- (i) प्रबंधक(सिस्टम) पद हेतु दिव्यांगजन की केवल ओ0एल0, बी0एल0, एच0एच0, एल0सी0, डीडब्लू0 तथा ए0ए0वी0 उपश्रेणियां चिन्हांकित हैं।

(ii) रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है।

पद की प्रकृति:- समूह-ख (कम्प्यूटर संवर्ग), अराजपत्रित।

वेतनमान:- रु0 15600-39100/-, ग्रेड-पे: 5400/-

वरिष्ठ प्रोग्रामर, औद्योगिक विकास विभाग									
कुल	अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्ल्यू0 एस0	भू0पू0 सै0	दिव्यांगजन	स्व0 सं0से0	महिला
01	01	00	00	00	00	00	00	00	00
नोट:- (i) वरिष्ठ प्रोग्रामर पद हेतु दिव्यांगजन की केवल ओ0एल0, बी0एल0, एच0एच0, एल0सी0, डीडब्लू0 तथा ए0ए0बी0 उपश्रेणियां चिन्हांकित हैं। (ii) रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट / बढ़ सकती है। पद की प्रकृति:-समूह-ग (कम्प्यूटर संवर्ग), अराजपत्रित। वेतनमान:-रू0 9300-34800 /-, ग्रेड-पे: 4600 /-									
प्रोग्रामर ग्रेड-2, वित्तीय योजना और संसाधन निदेशालय									
कुल	अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्ल्यू0 एस0	भू0पू0 सै0	दिव्यांगजन	स्व0 सं0से0	महिला
01	01	00	00	00	00	00	00	00	00
नोट:- (i) प्रोग्रामर ग्रेड-2 पद हेतु दिव्यांगजन की कोई उपश्रेणी चिन्हांकित नहीं है। (ii) रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट / बढ़ सकती है। पद की प्रकृति:- समूह-ख, अराजपत्रित। वेतनमान:-लेवल-7, रू0 44900-142400 /-									
कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग									
कुल	अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अ0पि0 वर्ग	ई0डब्ल्यू0 एस0	भू0पू0 सै0	दिव्यांगजन	स्व0 सं0से0	महिला
07	04	01	00	02	00	00	00	00	01
नोट:- (i) कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-“बी” पद हेतु दिव्यांगजन की कोई उपश्रेणी चिन्हांकित नहीं है। (ii) रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट / बढ़ सकती है। पद की प्रकृति:- समूह-ग, अराजपत्रित। वेतनमान:- रू0 5200-20200 /-, ग्रेड-पे: 2800, मैट्रिक्स लेवल-5 5. आरक्षण : उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों / उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों / उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों / उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा- उ0प्र0 के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित / महिला अभ्यर्थियों / उ0प्र0 के भूतपूर्व सैनिकों और उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये पदों पर आरक्षण अनुमन्य होगा। नोट:- (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 5 / 2022 / 18 / 1 / 2008 / 47 / का-2 / 2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है- दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो। 2. शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2/2019 दिनांक-26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या- 18/1/99/का-2/2006 दिनांक-09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर-4 में दिये गये प्राविधान, “यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है” को रिट याचिका संख्या 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक-16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRAVIRES) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक-09.01.2007 से प्रस्तर-04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या 475/2019 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा। 3. ई-डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण-पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II, दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप समस्त स्रोतों से प्राप्त आय आरक्षण हेतु आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा। 4. कुशल खिलाड़ियों हेतु नियुक्ति अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-52/दो-4/75-नियुक्ति-4, दिनांक 11 फरवरी, 1975 एवं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2, दिनांक 28 नवम्बर, 1985 और उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-‘ग’ के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली, 2022, दिनांक 07 जनवरी, 2022 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जायेगी। 5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, दिव्यांगजन, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण / आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। 6. उ0प्र0 के किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, O.T.R. के सम्बन्धित स्तम्भ में अपनी श्रेणी /उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी। 7. आरक्षण / आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। 8. एक से अधिक आरक्षित श्रेणी / आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। 9. महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। 10. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी / उपश्रेणी का दावा किया गया है, उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। 6. आपात कमीशन प्राप्त /अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु में छूट हेतु):- आपात कमीशन प्राप्त /अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या- 22/10/1976 – कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:- (अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना / नौ सेना / वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है। (ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि (क) उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेज्युटी प्रदान की गई हो। 7. वैवाहिक प्रास्थिति :- ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो। 8. शैक्षिक अर्हता:- आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को निम्नवत् अर्हता अवश्य धारित करना चाहिए।									
क0सं0	पदनाम / विभाग का नाम	शैक्षिक अर्हताएं							
1.	प्रबंधक(सिस्टम) (औद्योगिक विकास विभाग)	अनिवार्य अर्हता:- कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक। अधिमानी अर्हता:- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।							
2.	वरिष्ठ प्रोग्रामर (औद्योगिक विकास विभाग)	अनिवार्य अर्हता:- स्नातक के साथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा। अधिमानी अर्हता:- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।							

3.	प्रोग्रामर ग्रेड-2 (वित्तीय योजना एवं संसाधन निदेशालय)	अनिवार्य अर्हता:- सेवा में प्रोग्रामर श्रेणी-2 पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं होनी आवश्यक है:- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। (दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; अथवा इलेक्ट्रानिक्स विभाग (डी०ओ०ई०), भारत सरकार से “ए” लेवल प्रमाण पत्र। (तीन) डी ओ एस / यूनिक्स / विन्डोज इनवायरोनमेन्ट में ओरेकल / इनग्रेस / सायबेस, डी बी / जेड आदि के रूप में सी / सी-फोक्स प्रो, आर डी वी एम एस जैसे साफ्टवेयर डेवलपमेन्ट का अच्छा ज्ञान। (चार) किसी नेटवर्किंग आपरेटिव प्रणाली के इनवायरोनमेन्ट से सुपरिचित होना। (पाँच) आफिस आटोमेशन पैकेजेज और इन्टरनेट का सम्पूर्ण ज्ञान। समकक्ष अर्हता- भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में जारी शासनादेश संख्या-03 / 2023 / 312 / 47-का-2-312 एलसी / 2022 दिनांक 19.07.2023 का प्रवर्तनीय अंश निम्नवत् है :-” 3- उपर्युक्त समस्या के निवारण के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं:- (1)- ऐसे प्रकरणों में जहां तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उपशाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहां विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा। (2)- उक्त बिन्दु संख्या-1 से आच्छादित प्रकरणों को छोड़कर जिस किसी विभाग की नियमावली में अर्हता सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित की गयी हैं, उक्त के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:- (1) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियाँ स्नातक के रूप में मान्य होगी। (2) मानव संसाधान विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यवसायिक निकायों / संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किये जायेंगे। (3) किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केन्द्र सरकार / संबंधित राज्य सरकार / विनियामक निकायों से, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। (4) उपर्युक्त समतुल्यता केवल उ0प्र0 राज्य में लोक सेवा आयोग / अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थानों द्वारा सेवा-नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा। अधिमानी अर्हता:- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
4.	कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग)	अनिवार्य अर्हता:- 1. कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ स्नातक उपाधि, या डी.ओ.ई. से ‘ओ’ प्रमाण पत्र के साथ स्नातक उपाधि, 2. डी.बेस / यूनिक्स / विन्डोज में विभिन्न सॉफ्टवेयर यथा एम.एस. ऑफिस / लोटस / स्मार्टसूट आदि पर हिन्दी और अंग्रेजी में डाटा इन्ट्री का ज्ञान, 3. नोवल एवं विन्डो एन.टी. पर नेटवर्किंग के एक्सपोजर का ज्ञान, 4. हिन्दी और अंग्रेजी टंकण में 25 और 40 शब्द प्रति मिनट की गति। अधिमानी अर्हता:- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

नोट:- आवेदन submit किये जाने की अन्तिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक है।

पदों की संगत सेवा नियमावलियाँ	
● उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 (यथा संशोधित)। ● उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग समूह ‘ख’ संवर्ग सेवा नियमावली, 2016 ● उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (क्यूटर अनुभाग) सेवा विनियमावली-2009.	
9. आयु सीमा:- (i) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2026 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1986 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1971 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (ii) अधिकतम आयु सीमा में छूट:- (क) उ0प्र0 की अनुसूचित जाति, उ0प्र0 की अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों / कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1981 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। (ख) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। (ग) उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों / भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि + 03 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी। (घ) उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 के अनुसार:- (एक) मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविदों जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन के अन्तिम दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी से अपने अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, उन्हें सेवा में पद पर भर्ती के लिए सुसंगत सेवा नियमावली में विहित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक का शिथिलीकरण किया जायेगा। (दो) कोई अभ्यर्थी, जो अनुसंधानविद के रूप में 01 वर्ष की अवधि / कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे एक वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा, कोई अभ्यर्थी जो 02 वर्ष की अवधि / कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे दो वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा और कोई अभ्यर्थी 03 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि / कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे तीन वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा या प्रस्तुत आयु सीमा में शिथिलीकरण के प्रयोजन के लिए, कार्यकाल की गणना विज्ञापन वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से की जायेगी। (तीन) आयु शिथिलीकरण केवल उन्हीं अनुसंधानविदों को प्रदान किया जायेगा जिन्होंने मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम पूर्ण करते समय सरकारी सेवा हेतु विहित अधिकतम आयु सीमा पूर्ण कर लिया हो। परन्तु यह कि ऐसी श्रेणी से सम्बन्धित अभ्यर्थी, जिन्होंने अधिकतम आयु सीमा में किसी शिथिलीकरण हेतु पहले से ही पात्र हैं उन्हें कोई पृथक से आयु शिथिलीकरण प्रदान नहीं किया जायेगा।	
नोट:-औद्योगिक विकास विभाग के प्रबन्धक(सिस्टम) तथा वरिष्ठ प्रोग्रामर पद हेतु- (क) ऐसे व्यक्ति, जिसने प्राधिकरण की किसी सेवा में एक वर्ष या अधिक की सेवा पहले ही कर ली हो, के मामले में अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष, जितनी उसने निरन्तर सेवा की हो या सात वर्ष की अवधि के लिये, जो भी कम हो, अधिक होगी। (ख) ऐसा कोई अभ्यर्थी जो अपनी आयु के सम्बन्ध में ऐसे किसी वर्ष में जिसमें कोई चयन न किया जाय, यद्यपि कोई रिक्ति विद्यमान हो, किसी चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार था, अपनी आयु के सम्बन्ध में अनुवर्ती चयन में उपस्थित होने के लिये हकदार समझा जायेगा।	
10. प्रबंधक(सिस्टम) परीक्षा / वरिष्ठ प्रोग्रामर परीक्षा / प्रोग्रामर ग्रेड-2 परीक्षा / कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनायें:- (1) परीक्षा की तिथि एवं केन्द्र की सूचना आयोग द्वारा ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से बाद में दी जायेगी। (2) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
11. अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण अनुदेश:- (1) हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न	

करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावे की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर/प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(3) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किये गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(4) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।

(5) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

(6) कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024, दिनांक 06 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत परीक्षा में लागू रहेंगे।

(7) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, ओ0टी0आर0 नं0, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिये।

(8) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

(9) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।

(10) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक भरने में केवल काले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें।

(11) अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना संबंधी गोलों को काला करके सही-सही भरें जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सके। OMR Answer Sheet में गोला को काला करके दी गयी सूचना के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर व्हाइटनर, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का प्रयोग न किया जाये। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। उक्त के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

(12) वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में माननीय आयोग के निर्णय के क्रम में प्रयुक्त होने वाली उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगी, जिसमें प्रथम प्रति मूल प्रति- गुलाबी, द्वितीय प्रति संरक्षित प्रति-हरी तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी प्रति-नीली होगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात OMR Answer Sheet की मूल प्रति तथा संरक्षित प्रति अंतरीक्षक जमा कर लेंगे एवं तीसरी प्रति (अभ्यर्थी प्रति-नीली) अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे।

(13) परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्न पत्रों में गलत उत्तर पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी -1 प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा। यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

(14) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

(15) आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा परीक्षा के किसी स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/रियायत न लिया गया हो।

नोट:- उक्त बिन्दु पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (लखनऊ खण्डपीठ) में योजित स्पेशल अपील संख्या-233/2026 भावना यादव व 06 अन्य बनाम उ0प्र0 शासन व 02 अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2026 को स्थगनादेश पारित किया गया है।

(16) चयन से सम्बन्धित समस्त प्रक्रियाओं में कार्यवाही तत्समय प्रवृत्त अधिनियमों/संगत विधियों/प्रभावी शासनादेशों/मा0 आयोग के निर्णयों के अनुसार की जायेगी।

(17) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूटरचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिए प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

(18) जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं, अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं। अतः अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक नहीं दिये जायेंगे।

सामान्य अनुदेश

1. अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

2. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON LINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (**परिशिष्ट-1**) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयुसीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ियों तथा दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को, जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

4. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हतायें आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिये।

5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या-453/79-वी-1-15-1(का)14-2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6. यदि अभ्यर्थी को ऑन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बॉक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

7. विभिन्न आरक्षित वर्गों हेतु आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों का प्रारूप एवं मुख्य मंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का अनुभव प्रमाण-पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट-1** पर उपलब्ध है। इसी प्रकार प्रबंधक (सिस्टम), वरिष्ठ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर-2 और कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-'बी' पदों की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम क्रमशः **परिशिष्ट-2** तथा **परिशिष्ट-3** पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:
At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to 'I do not agree', the application procedure will be terminated. Acceptance of 'I Agree' only will make submission of the candidate's Online Application.

Notification Details
This section shows information relevant to Notification i.e. Notification type, directorate/

department name and post name.

Personnel Details from OTR
This section shows information about candidate's personnel details i.e. candidate's name, Father/Husband's name, Gender, D.O.B., UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, Freedom fighter of U.P., Ex-Servicemen of U.P., Service duration, P.H., Skilled Player and Outstanding sports person of U.P., Debarred candidates.

Education & Experience Details
It shows your educational and experience details

Declaration segment
At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are expected to go through the contents of the Declaration carefully. After filling all above particulars there is provision for preview the detailed submitted application form on clicking Preview button. Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in on-line application form. Being satisfied with filled details click on "Submit" button finally and get the print of submitted application form.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other Information candidates are advised to select desired option in the Commission's website **https://uppsc.up.nic.in**

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

:- NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS

- All Notification/Advertisements

:- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION

- Candidate Registration
- Fee Deposition /Reconciliation
- Submit Application Form
- Modify Submitted Application
- Candidate Dashboard (OTR Based)

:- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION

- Double Verification mode
- View Application Status
- Download Admit Card
- Print Duplicate Registration Slip
- Print Detailed Application Form
- List of Applications Having any Objections
- Know your OTR number.
- View Answer Key

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट-1

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-पत्र)
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।
श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।
स्थान हस्ताक्षर.....
दिनांक पूरा नाम
मुहर पद नाम.....
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य
वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/ सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।
श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।
स्थान हस्ताक्षर
दिनांक पूरा नाम
मुहर पद नाम
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र-I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या- दिनांक-

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पति/पुत्री
..... ग्राम/ कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना तहसील
..... जिला राज्य पिनकोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-
I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।
हस्ताक्षर(कार्यालय का मुहर सहित)

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

पूरा नाम पदनाम जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार ।

(प्रपत्र-II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी ग्राम / कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना ब्लॉक तहसील जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ:-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता / रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है ।

2. मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु. (शब्दों में) है ।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है ।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता / आती हूँ ।

4. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-
I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट ।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड ।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड ।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता / करती हूँ । यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य / गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता / जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश / लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी / कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा / लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा / रहूँगी ।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें ।

स्थान:-
दिनांक:-

आवेदक / आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम ।

उ0प्र0 के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रमाण-पत्र

(दिव्यांगजन प्रारूप)

Form-II

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness) (Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____ registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post office _____ District _____ State _____.

whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:
● locomotor disability
● dwarfism
● blindness
(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his/her case is _____

(A) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

3. Signature and seal of the Medical Authority.
(Dr.....) (Dr.....) (Dr.....)
Member Member Chairperson
Medical Board Medical Board Medical Board
with seal with seal with seal

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued
Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-III

Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth (DD/MM/YY) _____ age _____ years, male/female _____, Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows: In figures.....percent.
In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-
(i) not necessary,
or
(ii) is recommended/ after..... years.....months, and therefore this certificate shall be valid till.... (DD) (MM) (YY)
@ -e.g. Left/right/both arms/legs
- e.g. Single eye
£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-IV

Certificate of Disability

(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that we have carefully examined Shri/ Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth (DD/MM/YY) _____ age _____ years, male/female _____, Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of _____ Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		

Page- 4

[illegible]

(d) English Comprehension (Unseen Passage)	10	20
Total	85	170
कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड “बी” पद हेतु परीक्षा योजना		
(1) परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा जिसकी कुल अवधि दो घण्टे होगी।		
(2) प्रश्न पत्र में कुल 85 प्रश्न होंगे तथा पूर्णांक 170 होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए दो—दो अंक निर्धारित रहेगा।		
(3) हिन्दी तथा अंग्रेजी टंकण क्रमशः 27.5—27.5 (कुल 55 अंकों की होगी)।		
(4) हिन्दी तथा अंग्रेजी टंकण क्रमशः 10—10 मिनट होगी।		
(5) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण 25 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होना अनिवार्य है।		
(6) लिखित परीक्षा का पूर्णांक 170 तथा हिन्दी अंग्रेजी टंकण का पूर्णांक 55 अर्थात कुल 225 के सापेक्ष अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम तैयार किया जायेगा।		
अंक विभाजन		
Topics	No. of Questions	Marks
(a) Exposure to Computer System and Application	50	100
(b) Logical Ability	10	20
(c) General Awareness	15	30
(d) English Comprehension (Unseen Passage)	10	20
Total	170	
(e) English and Hindi Typing (Each of 27.5 marks)		55
Total	85	225
परिशिष्ट—3		
पाठ्यक्रम		
प्रबंधक (सिस्टम) पद हेतु पाठ्यक्रम		
विषय : कम्प्यूटर अनुप्रयोग		
1. कम्प्यूटर की मौलिक अवधारणाएँ और कंप्यूटर संगठन:		
कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम के तत्व, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू, पेरीफेरल, स्टोरेज मीडिया, डिजिटल कंप्यूटर का सामान्य संगठन, डेटा प्रस्तुतीकरण, फिक्सड एंड फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल अरिथमैटिक, बिट स्लाइस माइक्रोप्रोसेसर, एडर एवं उसके प्रकार, जेनरेटर एवं उसके प्रकार, गुणा और भाग परिपथ, अंकगणितीय इकाई, इंस्ट्रक्शन साइकल, इंस्ट्रक्शन अनुक्रमण, प्रारूप एवं उनकी व्याख्या, माइक्रो प्रोग्राम अवधारणाएं और नियंत्रण इकाई डिजाइन।		
सेमीकंडक्टर मेमोरी और मेमोरी संगठन, वर्चुअल मेमोरी, सेगमेंट्स, पेजेस, पेज्ड सेगमेंट, कैश मेमोरी और इंटरलीव्ड मेमोरी।		
I/O संगठन की अवधारणाएं, डेटा ट्रांसफर विधियाँ, प्रोग्राम्ड I/O, DMA, इंटरप्ट—आधारित ट्रांसफर, I/O चैनल, I/O प्रोसेसर, सीरियल ट्रांसमिशन और सिंक्रोनाइजेशन।		
2. डेटा संरचना और एल्गोरिदम:		
एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा स्ट्रक्चर और इसके प्रकार, ऐरे, रिप्रेजेंटेशन और एनालिसिस, सिंगल और मल्टीडायमेंशनल ऐरे और उनका अनुप्रयोग, ऑर्डर्ड लिस्ट, स्पार्स मैट्रिसेस और वेक्टर्स, सिंगली लिंक्स की रिप्रेजेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन, टू वे हेडर लिस्ट, लिंकड लिस्ट का ट्रवर्सल और सर्चिंग, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो, लिंकड लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन, डबलली लिंकड लिस्ट, ऐरे में लिंकड लिस्ट, पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन और एडिशन, गार्बेज कलेक्शन और कॉम्पैक्शन।		
स्टैक्स, क्यूज, स्टैक की ऐरे रिप्रेजेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन, स्टैक पर ऑपरेशन्स: पुश (Push) और पॉप (Pop), क्यू की ऐरे और लिंकड रिप्रेजेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन, क्यू पर ऑपरेशन्स: क्रिएट, ऐड, डिलीट, फुल और एम्प्टी, सर्कुलर क्यू, डी—क्यू और प्रायोरिटी क्यू।		
रिकर्शन, रिकर्शन के सिद्धांत, टॉवर ऑफ हनोई समस्या, रिकर्शन का सिमुलेशन, बैकट्रैकिंग रिकर्सिव एल्गोरिदम्स, टेल रिकर्शन, रिकर्शन की रिमूवल।		
ट्री रिप्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन और ट्रवर्सल, बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्स, कंप्लीट बाइनरी ट्री, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री की ऐरे और लिंकड रिप्रेजेंटेशन, थ्रेडेड बाइनरी ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री का ट्रवर्सल, हफमैन एल्गोरिदम।		
सीक्वेंशियल सर्च, बाइनरी सर्च, तुलना और विश्लेषण, हैश टेबल, हैश फंक्शन्स, कोलिजन रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज, हैश टेबल इम्प्लीमेंटेशन।		
3. प्रोग्रामिंग भाषाएं:		
C, C++, Java, Python की अवधारणाएं और अनुप्रयोग, मुक्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर।		
4. डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (DBMS):		
डेटा इंडिपेंडेंस, डेटाबेस सिस्टम की संरचना, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, रिलेशनल पद्धति, श्रेणीबद्ध पद्धति, नेटवर्क और डिस्ट्रिब्यूटेड पद्धति।		
रिलेशन, डोमेन और विशेषताएँ, कुंजी (keys), एक्सटेंशन और इंटेंशन, रिलेशनल एल्जेब्रा, सेट ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेशन, रिलेशनल कैल्कुलस। नॉर्मल फॉर्मस, फंक्शनल डिपेंडेंसी, 1NF, 2NF, 3NF और BCNF.		
SQL क्वेरी और ऑप्टिमाइजर, सिक्योरिटी, कौनकरेंसी और रिकवरी।		
5. ऑपरेटिंग सिस्टम:		
फंक्शन्स, मल्टीप्रोग्रामिंग, मल्टीप्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग, प्रोसेसेस, थ्रेड्स, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग, फ्रैगमेंटेशन, म्युअल एक्सक्लूजन, क्रिटिकल रीजन। सीपीयू शेड्यूलिंग, I/O शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, डेडलॉक अवाॉइडेंस और प्रिवेंशन; UNIX/LINUX: स्ट्रक्चर और कमांड्स, इंटरफेसिंग, एडिटर्स और कंपाइलर्स, LEX और YACC, फाइल सिस्टम, सिस्टम कॉल्स, फिल्टर्स, शेल प्रोग्रामिंग।।		
6. डेटा संचार और कंप्यूटर नेटवर्क:		
कम्प्युनिकेशन चैनल्स, मीजर ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स कोडिंग टेकनीक्स जैसे हफमैन कोड, ब्लॉक कोड और साइक्लिक रिडंडेंसी कोड्स। मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन, नेटवर्क्स स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर, OSI मॉडल, टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मीडिया, स्विचिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, क्लायंट—सर्वर		
मॉडल, IEEE स्टैंडर्ड्स, FDDI, TCP/IP मॉडल, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क्स, मल्टीपॉइंट प्रोटोकॉल लेयर स्विचिंग (MPLS)। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, राउटिंग एल्गोरिदम्स, कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम्स। इंटरनेटवर्किंग, आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग, IPv4 ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लिकेशन लेयर, कंप्रेशन टेकनीक्स, IPv6, डीएनएस सिस्टम। सिक्योरिटी कौन्सेप्ट्स —अटैक्स, सर्विसेज और मेकैनिज्म्स, साइफर प्रिसिपल्स और क्रिप्टोग्राफी।		
7. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence):		
इंटेलिजेंट एजेंट्स, एजेंट्स की संरचना और उनके कार्य, प्रॉब्लम स्पेसेस और सर्च, हीयुरिस्टिक सर्च तकनीकें — बेस्ट फर्स्ट सर्च, प्रॉब्लम रिडक्शन, कंस्ट्रेंट सैटिसफैक्शन, मीन्स एंड्स एनालिसिस। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन: नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के दृष्टिकोण और मुद्दे, नॉलेज बेस्ड एजेंट, प्रपोजिशनल लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक — युनिफिकेशन और रेजोल्यूशन		
8. रिमोट मेथड इनवोकेशन (RMI) का परिचय:		
क्लाइंट—सर्वर एप्लिकेशन यूजिंग आरएमआई। जावा सर्वलेट, सर्वलेट एपीआई, सर्वलेट का लाइफ साइकल, रनिंग सर्वलेट, डिबगिंग सर्वलेट्स, थ्रेड—सेफ सर्वलेट्स, एचटीटीपी रिडायरेक्ट्स, कुकीज, जावा सर्वर पेजेस (JSP), एचटीएमएल (HTML), यूआरएल (URL), एफटीपी (FTP), एचटीटीपी (HTTP), पीएचपी (PHP) और एसएसी. नेट (ASP.net)		
9. सिस्टम सुरक्षा:		
ऑथेंटिकेशन, सर्विस इलेक्ट्रॉनिक मेल सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी: सिक्योर सॉकेट लेयर सिक्योरिटी, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन (SET)।		
सिस्टम सिक्योरिटी : इन्ट्रूडर्स, वायरस, फायरवॉल डिजाइन प्रिसिपल्स।		
इंटरनेट: बेसिक्स, इंटरनेट कनेक्शन्स के विभिन्न प्रकार, आईएसपी (ISP), मेल सर्विसेस कॉन्सेप्ट्स, वॉइस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब ब्राउजर्स और वेब सर्वर्स, वीपीएन (VPN), वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VOIP)		
10. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और MIS:		

सॉफ्टवेयर का महत्त्व और इसकी विशेषताएँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकल, सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर रिव्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, वॉटर फॉल मॉडल, द इन्क्रिमेंटल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग, स्पाइरल मॉडल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रबंधन की भूमिका, मेट्रिक्स और मेजरमेंट की भूमिका, समस्या विश्लेषण, रिव्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मॉनिटरिंग और कंट्रोल, सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिसिपल्स, एबस्ट्रैक्शन, कोहेसिवनेस, कपलिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी और रिलायबिलिटी, एमआईएस (MIS) और ईआरपी (ERP) की अवधारणाएँ।

11. उन्नत संगणना (Advanced Computing):
मोबाइल कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन लर्निंग की मूल अवधारणाएं।

वरिष्ठ प्रोग्रामर पद हेतु पाठ्यक्रम		
विषय: कम्प्यूटर अनुप्रयोग		
1. कम्प्यूटर मूलभूत और कंप्यूटर संगठन:		
(ए) कंप्यूटर की मूलभूत अवधारणाएं: परिभाषा और विशेषताएं, प्रकार, घटक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और उपयोगिताएँ।		
(बी) कम्प्यूटर संगठन, संख्या प्रणाली, निर्देश कोड, निर्देश चक्र, एड्रेसिंग मोड, डाटा ट्रांसफर और मैनुपुलेशन, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्सन सेट कम्प्यूटर (सीआईएससी) और रीडबूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्यूटर (आरआईएससी)।		
2. डाटा संरचना: डाटा संरचना की मूल अवधारणाएं, स्टैक ऑपरेशन, स्टैक का ऐरे और लिंकड रिप्रजेन्टेशन, स्टैक अनुप्रयोग, क्यू ऑपरेशन (Queue opearation) और उनकी ऐरे और लिंकड रिप्रजेन्टेशन, सर्च ट्री (Search Trees) की मूलभूत अवधारणाएं।		
3. डीबीएमएस: डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली का प्रारम्भिक ज्ञान, डाटा मॉडल, ईआर डायग्राम (ER Diagram), एमएस एक्सेस की जानकारी, ओरेकल, एमवाई एसक्यूएल (MY SQL), एसक्यूएल सर्वर।		
4. प्रोग्रामिंग भाषाएँ: प्रोग्रामिंग की अवधारणाएं, C, C++, Java और Python प्रोग्रामिंग की जानकारी और उनके अनुप्रयोग।		
5. नेटवर्क: परिभाषा, प्रकार (LAN, WAN, MAN) और नेटवर्क के घटक, OSI, TCP/IP कनेक्शन उन्मुख नेटवर्क, वायरलेस संचार, इंटरानेट, इंटरनेट (सेवाएँ और अनुप्रयोग), वेब ब्राउजर और ईमेल।		
6. वेब प्रौद्योगिकी: वेब प्रौद्योगिकी की मूलभूत समझ, HTML, XML, PHP and Java Script का बुनियादी ज्ञान।		
7. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग: सॉफ्टवेयर की उभरती भूमिकाएं, सॉफ्टवेयर की बदलती भूमिका, सॉफ्टवेयर के विकास का जीवन चक्र, रिव्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, परीक्षण तकनीक और परीक्षण उपकरण की जानकारी, डिबगिंग, सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता और मेट्रिक्स।		
8. साइबर कानून और सुरक्षा नीति: साइबर अपराध, जालसाजी, हैकिंग, सॉफ्टवेयर गोपनीयता, डाटा धोखाधड़ी, फिशिंग और व्यक्तित्व चोरी, वेब सुरक्षा, ईमेल सुरक्षा, सोशल मीडिया सुरक्षा, आईटी अधिनियम।		
9. विंडोज / यूनिक्स / लिनक्स: ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, इसकी विशेषताएं और अनुप्रयोग, विंडोज फायरवॉल की समझ, उन्नत सुरक्षा सहित विंडोज फायरवॉल प्रणाली, पासवर्ड सुरक्षा, एंटीवायरस सुरक्षा, यूनिक्स / लिनक्स कमांड का ज्ञान।		
10. दस्तावेज तैयार करना: ऑफिस सुइट के उपयोग का कार्यसाधक ज्ञान।		
प्रोग्रामर ग्रेड—2 पद हेतु पाठ्यक्रम		
विषय: कम्प्यूटर अनुप्रयोग		
1. ऑपरेटिंग सिस्टम (Operating System)		
ऑपरेटिंग सिस्टम के मूल सिद्धांत: ऑपरेटिंग सिस्टम का मूलभूत परिचय, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, कार्य एवं सेवाएँ, सिस्टम कॉल, इंटरफेस, इंटरप्ट्स।		
प्रोसेस: प्रोसेस प्रबंधन, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस अवस्थाएँ, थ्रेड्स, शेड्यूलिंग, स्पूनिंग, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम और उनका मूल्यांकन, प्रोसेस सिंक्रनाइजेशन, इंटर—प्रोसेस कम्प्युनिकेशन, कंकर्न्ट एक्जीक्यूशन रेस कंडीशन, म्युचुअल एक्सक्लूजन, बारंडेड वेंटिंग, सेमाफोर, हार्डवेयर सिंक्रनाइजेशन, क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, (रीडर्स—राइटर्स, डाइनिंग फिलॉसफर्स)।		
डेडलॉक: डेडलॉक का परिचय, विशेषताएँ, रोकथाम, पहचान, बचाव, वेट—फॉर—ग्राफ, बैंकर्स एल्गोरिदम, सुरक्षित स्थिति, डेडलॉक रिकवरी।		
मेमोरी प्रबंधन: मेमोरी प्रबंधन का मूलभूत सिद्धांत, स्थैतिक और गतिशील आवंटन, स्वैपिंग, कम्पैक्शन, कंटिग्यूस और नॉन—कंटिग्यूस आवंटन, पेजिंग, सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी, डिमांड पेजिंग, पेज प्रतिस्थापन एल्गोरिदम, फ्रेम आवंटन विधियाँ, थैशिंग।		
फाइल प्रबंधन: फाइल सिस्टम की संरचना और कार्य, I/O ऑपरेशन्स, डिवाइस ड्राइवर्स, एक्सेस विधियाँ, फाइल सिस्टम संगठन, डिजाइन तकनीकें, फाइल आवंटन विधियाँ, फाइल सुरक्षा और संरक्षण।		
Unix और Windows: ओवरव्यू ऑफ यूनिक्स शेल एनवायरनमेंट, सामान्य कमांड, सिस्टम यूटिलिटीज, Windows एनवायरनमेंट, उप—प्रणाली, कंट्रोल पैनल और सिस्टम कॉन्फिगरेशन, सुरक्षा और संरक्षण।		
2. प्रोग्रामिंग भाषा (Programming Language)		
समस्या समाधान तकनीकें: एल्गोरिदम, फ्लोचार्ट, प्रोग्रामिंग पैरेडाइम्स (टॉप—डाउन, बॉटम—अप), ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अवधारणाएँ।		
C प्रोग्रामिंग: C भाषा का महत्त्व और विकास, प्रोग्राम की संरचना, कैरेक्टर सेट, टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, स्थिरांक, चर, डेटा प्रकार, ऑपरेटर्स, निर्णय लेने वाले कथन, लूप्स, ऐरेज, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स।		
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग: क्लासेस, ऑब्जेक्ट, एन्कैप्सुलेशन, डेटा एबस्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पुनः उपयोगिता और मॉड्यूलरिटी, पोलिमॉर्फिज्म, फ्रेंड फक्शंस, वर्चुअल फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर्स और डीस्ट्रक्टर्स।		
जावा: जावास्रोत फाइल संरचना, JVM आर्किटेक्चर, प्राथमिक डेटा प्रकार, ऑपरेटर्स, टाइप कास्टिंग, ऐरेज, कंडीशनल कथन, लूप संरचनाएँ, एबस्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, पैकेजेस और एक्सेस मॉडिफायर्स।		
3. स्क्रिप्टिंग भाषाएँ (Scripting Languages)		
स्क्रिप्टिंग भाषाओं की परिभाषा, विशेषताएँ, वेब आधारित अनुप्रयोगों में उपयोग, क्लाइंट—साइड vs. सर्वर—साइड स्क्रिप्टिंग।		
जावा स्क्रिप्ट: जावा स्क्रिप्ट का परिचय, सिंटेक्स, वेरिएबल्स, एक्सप्रेसन्स, नियंत्रण संरचनाएँ (ब्रांचिंग और लूपिंग), फंक्शंस, इवेंट्स, डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल (DOM), मैनिपुलेशन्स।		
पर्ल: सिंटेक्स, डेटा प्रकार, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल और लूपिंग कथन, ऐरेज, स्ट्रिंग्स, हैशेस, अंतर्निहित फंक्शंस और सबरूटीनस।		
4. डेटाबेस (Database)		
DBMS की विशेषताएँ, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली की विशेषताएँ, डेटाबेस मॉडल्स, ER आरेख, DDL, DML, डेटा एबस्ट्रैक्शन और डेटा इंडिपेंडेंस, DBMS आर्किटेक्चर, स्कीमा, व्यूज, कार्यात्मक निर्भरताएँ, इंटीग्रीटी कंस्ट्रेंट्स, नॉर्मल फॉर्म्स (1NF, 2NF, 3NF और BCNF), ट्रांजैक्शन्स और कनकरेंसी की अवधारणाएँ।		
5. डेटाबेस पैकेजेस (Database Packages)		
स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज (SQL): SELECT क्वेरीज, JOINS, सबक्वेरीज, एग्रीगेट फंक्शंस, सेट ऑपरेशन्स, डेटा मैनिपुलेशन (INSERT. UPDATE, DELETE, WHERE, ORDER BY, GROUP BY), इंडेक्सेस और ट्रिगर्स।		
MS-ACCESS: MS-Access GUI और संरचना का परिचय, रिपोर्ट्स, क्वेरीज, मैक्रोज, अंतर्निहित फंक्शंस, डेटा आयात / निर्यात क्वेरीज, तालिका संबंध।		
Oracle: परिचय और स्थापना, बैकअप और रिकवरी प्रबंधक, SQL सर्वर की मूल अवधारणाएँ, SQL सर्वर के कार्य, सर्वर कॉन्फिगरेशन, उपयोगकर्ता प्रबंधन, MySQL की मूल अवधारणाएँ।		
6. वेब सर्वर		
पीएचपी (PHP): पीएचपी का परिचय, चर (Variables), आंकड़ा प्रकार (Data Typè), कंडीशनल तथा लूपिंग कथन, इंडेक्स्ड एवं एसोसिएटिव ऐरे, बिल्ट—इन फंक्शन्स, HTML में PHP का समावेश, प्रपत्र (Form) प्रबंधन।		
वेब सर्वर: वेब सर्वर का अवलोकन एवं संकल्पना, वेब सर्वरों के प्रकार, HTTP एवं HTTPS प्रोटोकॉल, क्लाइंट—पक्ष एवं सर्वर—पक्ष स्क्रिप्टिंग, .NET प्लेटफॉर्म तथा फ्रेमवर्क का परिचय, MVC आर्किटेक्चर एवं उसका कार्यान्वयन, API विकास, रिमोट एक्सेस एवं सर्वर प्रबंधन, ASP.NET का डिप्लॉयमेंट और पब्लिशिंग, IIS एवं अपाचे सर्वर का बोध, वेब		

होस्टिंग एवं डोमेन प्रबंधन की मूल अवधारणाएँ । 7. नेटवर्क इंटरनेट की मूल अवधारणाएँ, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, यूआरएल संरचना, प्रोटोकॉल एवं सेवाएँ, FTP, TCP/IP, DNS, POP, SMTP, ICMP, RARP, UDP, ARP, IP अड्रेसिंग प्रणाली, उप-जाल (Subnetting) की संकल्पना, दूरस्थ लॉगिन, वेब अपलोडिंग/डाउनलोडिंग, वेब प्रकाशन, होस्टिंग सेवाएँ, SSL, इंटरनेट सुरक्षा उपाय, सोशल मीडिया नेटवर्किंग, सॉकेट प्रोग्रामिंग की मूल अवधारणाएँ, क्लाईंट सर्वर आर्किटेक्चर, TCP एवं UDP सॉकेट संप्रेषण । 8. वेब सामग्री विकास हाइपरटेक्स्ट एवं हाइपरमीडिया की संकल्पनाएँ, HTML प्रलेखों की संरचना, शीर्ष एवं मुख्य भाग, विभिन्न टैग्स, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इमेजेज का समावेश, लिंक्स बनाना, तालिकाओं एवं सूचियों का प्रयोग, फ्रेम्स एवं प्रपत्र प्रबंधन । 9. प्रलेख (Document) तैयारी एम.एस.—वर्ड: MS-Word का परिचय एवं विशेषताएँ, प्रलेख बनाना, सेविंग और ओपनिंग डॉक्युमेंट्स, इंटरफेस, टूलबार्स, रूलर, मेनू, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, अनुच्छेद फॉर्मेटिंग, पंक्तिबद्धता, सीमाएँ एवं छायांकन, हेडर्स और फुटर्स, स्तंभ, तालिकाएँ । एम.एस.—एक्सेल: वर्कशीट्स बनाना, सेल्स, स्तंभ एवं पंक्तियों की परिभाषा, डाटा की प्रविष्टि, संपादन एवं संरक्षण, टूलबार्स, फंक्शन्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, सेल्स फॉर्मेटिंग, पंक्तिबद्धता, कैरेक्टर स्टाइल्स, स्तंभ पंक्ति का आकार समायोजन, दिनांक/समय फॉर्मेटिंग, बोर्डर्स, रंग, बेसिक फॉर्मूलास, कक्ष संदर्भ (सापेक्ष, निरपेक्ष, मिश्रित) । एम.एस.—पावरपॉइंट: MS-PowerPoint का अवलोकन एवं प्रस्तुति में उपयोग, स्लाइड्स बनाना, प्रतिलिपि करना, स्थानांतरित करना, हटाना, विषयवस्तु, स्लाइड क्रम, डिजाइन उपकरण, पाठ संपादन एवं स्वरूपण, शैली प्रयोग, बुलेट्स/क्रमांकन, छवियाँ, चार्ट्स, स्मार्ट-आर्ट, मल्टीमीडिया समावेश, दृश्य प्रभाव, एनिमेशन, नोट्स, हैंडआउट्स, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रिहर्स टाइमिंग ।											
<u>कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड “बी” पद हेतु पाठ्यक्रम</u> (a) Course for Aptitude Test- The Computer operator needs to assist Programmer and higher ups in day to day operations. He/she must have basic knowledge of Computing System with different operating system (live windows/Unix) and have working knowledge of one or two programming languages. He/she may also have exposure on DBMS packages. They should be good in information ordering and possess oral and written comprehensive skills. The point wise syllabus is as follows : <table border="0"> <tr> <td>(1) OS</td><td>: Working knowledge with essential commands of Windows/ Unix.</td></tr> <tr> <td>(2) Programming Languages</td><td>: Programming skills in C and C++ or JAVA</td></tr> <tr> <td>(3) Document Preparation</td><td>: Deep exposure in Office Suites</td></tr> <tr> <td>(4) DBMS Packages</td><td>: Data Entry skills in different DBMS packages like MS Access, ORACLE, MYSQL etc.</td></tr> <tr> <td>(5) Internet</td><td>: Exposure on Web Server and Web Page management</td></tr> </table>	(1) OS	: Working knowledge with essential commands of Windows/ Unix.	(2) Programming Languages	: Programming skills in C and C++ or JAVA	(3) Document Preparation	: Deep exposure in Office Suites	(4) DBMS Packages	: Data Entry skills in different DBMS packages like MS Access, ORACLE, MYSQL etc.	(5) Internet	: Exposure on Web Server and Web Page management	
(1) OS	: Working knowledge with essential commands of Windows/ Unix.										
(2) Programming Languages	: Programming skills in C and C++ or JAVA										
(3) Document Preparation	: Deep exposure in Office Suites										
(4) DBMS Packages	: Data Entry skills in different DBMS packages like MS Access, ORACLE, MYSQL etc.										
(5) Internet	: Exposure on Web Server and Web Page management										
सचिव											